





Government of India Ministry of Home Affairs Land Ports Authority of India

1st Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.

E-13012/2/2025/LPAI/Rect FTS No.3748400

1775-91

Date: 26-05 -2025

VACANCY CIRCULAR

Subject: Filling up of vacant posts at LPAI Secretariat, New Delhi and its ICPs on deputation (Foreign Service) basis from those working in Central/State Government / Union territory Administration / Statutory Body / Autonomous Body.

The Land Ports Authority of India (LPAI), a statutory body set up under the LPAI Act 2010 for development and management of Land Ports / Integrated Check Posts (ICPs) at various locations on international land borders of India proposes to fill-up the following vacant posts on deputation (Foreign Service) basis from amongst Central/State Government / Union territory Administration / Statutory Body / Autonomous Body Officers for its Secretariat and Integrated Check Posts as under: -

LPAI Sectt., New Delhi

Sl. No.	Name of Post	Pre-revised Pay Band + Grade Pay	Pay Matrix Level (7 th CPC)	No. of posts to be filled up
1.	Private Secretary	Pay Band -2+4600	Level-7	1
2.	Junior Engineer (Civil and Electrical)	Pay Band-2 + 4200	Level-6	4
3.	Personal Assistant	Pay Band-2 + 4200	Level-6	1
4.	Assistant	Pay Band-2 + 4200	Level-6	1
			Sub Total (A)	7

For ICPs:

Sl.	Name of Post	Pre-revised Pay	Pay Matrix Level	No. of posts to		
No.		Band + Grade Pay	(7 th CPC)	be filled up		
1.	Manager/Port Administrator (New Designation)	Pay Band-3 + 6600	Level- 11	2		
	Sub Total (B)					
	GRAND TOTAL (A+B) 9					

- 2. (i) Number of vacancies may be decreased or increased at the discretion of the Competent Authority, LPAI.
 - (ii) Selected Officer/Official for the vacant posts at ICPs will be liable to be posted at any of the ICPs located at Attari, Jogbani, Raxaul, Agartala, Dawki, Petrapole, Moreh, Rupaidiha, Sabroom, Sutarkandi, Dera Baba Nanak, Srimantpur, Mankachar, Darranga, Golakganj.
 - (iii) LPAI is an eligible office for GPRA (only for Central Govt. Employees).

- 3. The details of eligibility and other conditions, along with details of functions and responsibilities for the above posts are given in **Annexure** 'A'.
- 4. The format of application is appended as **Annexure-'B'**.
- 5. The applicants for **Level 7 and below** posts should have basic working knowledge of computers particularly in all the modules of MS Office including e-office, email etc.
- 6. The deputation will be initially for a period of **five years**. Period of deputation will include period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department in the Central Government. The appointment will not bestow on the appointment on deputation any claim for regular appointment.
- The deputation will be subject to various circulars of DOP&T on the subject and especially the terms and conditions of deputation as stipulated in DOP&T's OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay II) dated 17.06.2010 and subsequent amendments made thereon.
- 8. The last date for receiving of applications is 10-07-2025.
- 9. The applications of willing and eligible officials whose services could be spared immediately, may be sent along with attested copies of ACRs/APARs for the last 5 years and Vigilance Clearance / Integrity Certificate, through proper channel to the Deputy Secretary (Administration), Land Ports Authority of India, 1st Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, so as to reach LPAI by 10-07-2025.
- 10. Applicants may send advance copies by post at the above address and also on email id: dsga-lpai@lpai.gov.in. However, only the applications received through proper channel by the due date and complete in all respects, shall be considered for selection.
- 11. All the details in this regard may also be obtained from this Authority's website http://lpai.gov.in under Vacancies Tab and Ministry of Home Affairswebsite: http://mha.nic.in/vacancies.

(Madhukar Pandey) Deputy Secretary (Admn) E-mail: <u>dsqa-lpai@lpai.gov.in</u> Tel:- 011-24340708

- 1. The Secretaries of all Departments of Government of India with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 2. The Chief Secretaries and Resident Commissioners of all State Governments/Union Territories with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 3. Director (CS Division) DoP&T, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, with the request to circulate it widely to all the officers under their control and also to post it on the website.

- 4. DG, CPWD, Nirman Bhawn, New Delhi.
- 5. DG BSF, Block No. 10, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 6. DG SSB, Vivekanand Marg, East Block 5, RK Puram, New Delhi, Delhi 110066 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 7. DG ITBP, Block No-2, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, Delhi 110003 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 8. DG Assam Riffles, E. Khasi Hills (Shillong), Meghalaya, India with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 9. Directorate General, CRPF, Block No.-1, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003, with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 10. PPS to Secretary (BM)/ PS to JS (BM)/ DS (BM-II), MHA
- 11. All ICP Managers to put this up on their notice board.
- 12. IT Section, MHA for posting on the web-site of MHA at http://mha.nic.in/vacancies through BM-II Division, MHA
- 13.IT Division, LPAI for posting on the web-site of LPAI http://lpai.gov.in at appropriate place.
- 14. Joint CGA, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex Block-E, Aviation Colony, New Delhi-110023.
- 15. Hon'ble Principal District & Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Courts, Bhiku Ram Jain Marg, Rajpur Road, Block BGS, Kamla Nehru Ridge. Civil Lines New Delhi-110054 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 16. The Chairman CBDT, North Block, New Delhi with the request to circulate it widely to all the officials under their control.

17. The Chairman Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi with the request to circulate it widely to all the officials under their control.

(Madhukar Pandey)
Deputy Secretary (Admn)
E-mail: dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

Eligibility criteria for the posts in the levels of 6, 7 & 11 (pay matrix of 7^{th} CPC) to be filled up in <u>LPAI</u>.

1.	Manager	Deputation—
	(New Designation-Port	Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—
	Administrator)	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 or equivalent;
		(iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8 or equivalent; and
		(b) possessing five years' experience in the fields of Management, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
		Desirable— Preferably holding of Master Degree in Management.
		Note 1.— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation. Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
2.	Private	"Deputation (including short term contract) —
	Secretary	Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 or equivalent; and
		(b) possessing five years' experience of working as Private Secretary in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.
		Note I— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
a		Note 2 — The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject." 3. Junior "Deputation (including short term contract) -Officers from the Central Government or State Government or Union territory Engineer (Electrical & Administration or Statuary Body or Autonomous Body — Civil) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 in the Public Works Department or equivalent; and (b) possessing three years' experience of working in civil engineering or electrical engineering and monitoring of construction activities in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body. Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation. Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject." 4. Personal "Deputation (including short term contract) — Assistant Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body — (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent; (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Steno 'D' or equivalent in pay level 4 or equivalent; and (b) possessing five years' experience in secretarial practices, office management, effective communication skill, public dealing and related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body. Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body shall ordinarily be for an initial

period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior

approval of the lending organisation.

Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject."; 5. Assistant "Deputation (including short term contract) — Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body — (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent; and (b) possessing three years' experience in administration, human resource development, finance in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body. Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation. Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject."







APPLICATION FOR THE POST OF:

Self-Attested passport size photograph

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of applicant with designation and complete office address (in block letters), e-mail & Tele. No.	
2.	Father's Name	
3.	Residential Address with Phone No.	
4.	Permanent Address	
5.	Date of Birth (in Christian era)	
6.	Whether belongs to SC/ST/OBC	
7.	Date of first joining in Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body	
8.	Date of retirement under Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body	
9.	Educational Qualifications	
10.	Whether belongs to All India or Organized Gr.A Services? If Yes, then mention name of Service and Batch	
11.	Post held on regular (i.e. substantive) basis and the date from which held with grade pay	

12.		ent Pay						
13.	Deta	ils of Employm	ent, of last	t 10 years	in c	hrone	nlogical or	der
	Enclo	ose a separate	sheet, duly	v authenti	cate	ed une	der vour si	gnature
Name of Office / organization where employed		Post Held	From	To	B	asic Pay	Grade Pay	Major Duties
14.	Natur	re of present er	mployment	i.e. ad ho	OC C			
15.	In cas	nporary or per se the present tation/ contra The date of in	employmer ct basis, pl	ease state	on			
	b)		of appo		on			
1.0	c)	Name of to Organization to	he paren to which yo	t office ou belong.	/			
16. 17.	Traini	ng / Courses a	attended					
17.	Additi	onal details ab	out your p	resent				
		yment: -						
	a)	lease state whether working under-						
	,	Central Govern						
		State Governn Autonomous (
	d)	Central Public	Sector Un	NS domtol-iu				
	e)	State Public Se	ector Unde	rtaking				
	f) ;	Statutory Body	v/ UT Adm	inistratior	,			
18.	Additio	onal information	on, if any, v	which	1			
	applica	ant may like to	mention i	n sunnort	of			
	nis/ h	er suitability fo	or the post	vis-a-viz	O1			
	the "di	aties" mention	ed in colun	nn 2 of				
	Annex	ure-A. Enclose	a separate	sheet, if				
	require	ed.						
9.	Prefere	nce of palce fo	r posting in	n ICPs:				
	i) ii) iii)						

(Signature of the Applicant
Mobile No:
Address for communication:

DECLARATION BY THE APPLICANT

1. I, (applicant name) hereby
declare that my posting on deputation as (post
name) in LPAI shall not bestow any right to me to claim either seniority in
the said post in respect of the services rendered by me on deputation or
regular appointment.
2. I will not claim absorption in LPAI in the said post.
3. I am liable to be repatriated to my parent organization for any
inaccuracies in the details noted above or for contravention of any
provisions in the rules/ orders governing the deputation.
Date:
Place: (Signature of the
Applicant)

CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE HEAD OF OFFICE / OFFICER NOT BELOW THE RANK OF UNDER SECRETARY IN GOI WHILE FORWARDING THE APPLICATION


- 1. Certified that the particulars furnished by the applicant are true and have been verified from the service records.
- 2. The applicant, if selected, will be relieved immediately.
- 3. Attested copies of ACR/APAR for the last five years are enclosed.
- 4. The record of the service of the Official has been carefully scrutinized and it is certified that there is no doubt about his/her integrity.
- 5. It is certified that no disciplinary/vigilance case is either pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from vigilance angle.
- 6. It is certified that no major/minor penalty has been imposed or contemplated on him/her during last 10 years.

Date:	Signature:
Place:	Name:
	Designation
	Telephone No.
	Official Seal

Note: All Terms & Conditions of deputation / foreign services will be followed as per DoP&T O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 and as amended from time to time.









प्रथम तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ई-13012/2/2025/एलपीएआई/भर्ती एफटीएस सं.3748400 1775-91 दिनांक : 26.05.2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली और इसकी एकीकृत जांच चौिकयों में केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय में काम करने वालों से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) के आधार पर भरना।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर भूमि पत्तनों/एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो अपने सचिवालय और एकीकृत जांच चौकियों के लिए केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/ स्वायत्त निकाय के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त (विदेशी सेवा) के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव करता है:-

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्व-संशोधित वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स	भरे जाने वाले
= =		+ ग्रेड वेतन	स्तर (7 th CPC)	पदों की संख्या
1.	निजी सचिव	वेतन बैंड -2 + 4600	स्तर - 7	1
2.	कनिष्ठ इंजीनियर	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	4
	(सिविल और इलेक्ट्रिकल)		2	
3.	निजी सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	1
4.	सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	1
			उप योग (ए)	7

एकीकृत जांच चौिकयों के लिए:

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्व-संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स स्तर (7 th CPC)	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1.	प्रबंधक /पोर्ट प्रशासक (नया पदनाम)	वेतन बैंड -3 + 6600	स्तर - 11	2
	1	a	उप योग (बी)) जल योग (ए+बी)	9

- 2. (i) सक्षम प्राधिकारी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के विवेक पर रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- (ii) एकीकृत जांच चौकियों में रिक्त पदों के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारी को अटारी, जोगबनी, रक्सौल, अगरतला, डॉकी, पेट्रापोल और मोरेह, रुपेडिहा, सबरूम, सुतारकंडी, डेरा बाबा नानक, श्रीमंतपुर, मनकाचर, दर्रांगा, गोलकगंज में स्थित किसी भी एकीकृत जांच चौकियों में तैनात किया जा सकता है।
- (iii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही) जीपीआरए के लिए एक पात्र कार्यालय है।
- 3. उपरोक्त पदों के लिए पात्रता और अन्य शर्तों के साथ-साथ कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण अनुबंध 'ए' में दिया गया है।
- 4. आवेदन का प्रारूप अनुबंध -'बी' में संलग्न है।
- 5. लेवल 7 और उससे नीचे के पदों के लिए आवेदकों को कंप्यूटर का, विशेष रूप से ई-ऑफिस, ईमेल आदि सहित एमएस ऑफिस के सभी मॉड्यूल में, बुनियादी कामकाजी ज्ञान होना चाहिए।
- 6. प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केंद्र सरकार में उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति से नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- 7. प्रतिनियुक्ति इस विषय पर डीओपीएंडटी के विभिन्न परिपत्रों और विशेष रूप से डीओपीएंडटी के ओएम संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और उसके बाद किए गए संशोधन में यथा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।
- 8. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 10.07.2025 है।
- 9. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिनको सेवाओं से तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है, पिछले 5 वर्ष की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां और सतर्कता मंजूरी/सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ उचित माध्यम से उप सचिव (प्रशासन), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को भेजे जाएं, ताकि वे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में 10.07.2025 तक पहुंच जाये।
- 10. आवेदक उपरोक्त पते पर डाक द्वारा और ईमेल आईडी: dsga-lpai@lpai.gov.in पर अग्रिम प्रतियां भेज सकते हैं। तथापि, केवल नियत तिथि तक उचित माध्यम से प्राप्त और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही चयन के लिए विचार किया जाएगा।
- 11. इस संबंध में सभी विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट http://lpai.gov.in से रिक्तियां टैब और गृह मंत्रालय: http://mha.nic.in/vacancies पर प्राप्त किए जा सकते है।

(मधुकर पांडैय) उप सचिव (प्रशासन)

E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-243407

- 1. भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और आवासीय आयुक्तों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 3. निदेशक (सीएस प्रभाग) DoP&T, लोक नायक भवन, खान मार्केट से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें और इसे वेबसाइट पर भी पोस्ट करें।
- 4. महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 5. डीजी बीएसएफ, ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 6. डीजी एसएसबी, विवेकानंद मार्ग, ईस्ट ब्लॉक 5, आरके पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली 110066 से अन्रोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 7. डीजी आईटीबीपी, ब्लॉक नंबर-2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 8. महानिदेशक असम राइफल्स, ई. खासी हिल्स (शिलांग), मेघालय, भारत से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 9. महानिदेशालय, सीआरपीएफ, ब्लॉक नंबर-1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 10. सचिव (बीएम) के पीपीएस/ संयुक्त सचिव (बीएम) /उप सचिव(बीएम-II),गृह मंत्रालय के पीएस
- 11. सभी एकीकृत जांच चौकी के प्रबंधक इसे अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएं।
- 12. आईटी अनुभाग, गृह मंत्रालय इसे बीएम-II प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/vacancies पर पोस्ट करवाएं।
- 13. आईटी प्रभाग, एलपीएआई इसे एलपीएआई की वेबसाइट http://lpai.gov.in पर उपयुक्त स्थान पर पोस्ट करें।
- 14. संयुक्त सीजीए, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स ब्लॉक-ई, एविएशन कॉलोनी, नई दिल्ली-110023
- 15. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, भीकू राम जैन मार्ग, राजपुर रोड, ब्लॉक बीजीएस, कमला नेहरू रिज, सिविल लाइंस नई दिल्ली-110054 से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

16. अध्यक्ष सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

17. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

mon

(मधुकर पांडेय) उप सचिव (प्रशासन) E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में भरे जाने वाले 6,7 और 11 (7वें सीपीसी का वेतन मैट्रिक्स) के स्तर के पदों के लिए पात्रता मानदंड।

1.	प्रबंधक /पोर्ट प्रशासक (नया पदनाम)	प्रतिनियुक्ति-
		केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र
		प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के
×		अधिकारी-
		(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार
		पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
		(ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर
		में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में
		पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
		(iii) जिन्होंने वेतन स्तर 8 या समतुल्य वेतन स्तर
		में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में
	,	आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
		(ख) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ
		राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत
		निकाय में प्रबंधन, योजना और विकास, प्रशासन, मानव
		संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों,
	,	संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव
		रखते हों।
		वांछनीय- प्रबंधन में मास्टर डिग्री धारकों को वरीयता दी
		जाएगी।
		टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन
		केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र
		प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी
		या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
	,	प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की
	*	आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व
		अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक
		बढ़ाया जा सकता है।
		टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
		आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.	निजी सचिव	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -
۲.	1-1-411 /11-41-41	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र
		THE POLY BY THE YEAR PARTY BY THE YEAR WITH

प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए ह्ए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 अथवा समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

3. कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एवं सिविल)

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के अधिकारी-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- जिन्होंने लोक निर्माण विभाग या समत्ल्य में वेतन स्तर 5 में नियमित आधार पर निय्क्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य करने और सन्निर्माण कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अन्भव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस निय्क्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिय्कित " (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अन्मोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनिय्क्ति पर निय्क्ति के लिए अधिकतम आय्-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनिय्क्ति पर उपय्क्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भ्गतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

वैयक्तिक सहायक 4.

प्रतिनिय्क्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii (जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो;
- (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में आशुलिपिक श्रेणी घ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सचिवालय कार्यप्रणाली, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी संप्रेषण कौशल, लोकव्यवहार तथा संबंधित मामलों में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

5. **सहायक**

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए ह्ए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त में तीन वर्ष कार्य करने अन्भव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।







- ---

स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

के पद के लिए आवेदन:

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1,	आवेदक का नाम, पदनाम और पूरा कार्यालय पता (स्पष्ट अक्षरों में) ईमेल एवं टेलीफोन नंबर	
2.	पिता का नाम	
3.	आवासीय पता तथा फ़ोन नंबर	
4.	स्थायी पता	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।	
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत निकाय में प्रथम कार्यग्रहण की तारीख	
8.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन / सांविधिक निकाय / स्वायत निकाय के तहत सेवानिवृति की तारीख	
9.	शैक्षिक अर्हताएं	
10.	क्या अखिल भारतीय या संगठित ग्रेड ए सेवाओं से संबंधित है? यदि हां, तो सेवा और बैच का नाम बताएं।	
11.	नियमित (अर्थात् मूल) आधार पर धारित पद और वह तारीख, जब से ग्रेड वेतन धारित किया गया हो, बताएं।	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

12.	वर्तमान वेतन			
13.	पिछले 10 वर्षों के रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण। अपने हस्ताक्षर से विधिवत			
अनुप्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।				

कार्यालय/संगठन का		धारित	कब से	कब तक	मूल	ग्रेड	मुख्य कार्य
नाम जहां	कार्यरत हैं	पद			वेतन	वेतन	
14.	वर्तमान रोजन् स्थायी	वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या स्थायी					
15.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर						
	है, तो कृपया बताएं						
	क) प्रारंभि	क नियुक्ति	न की तारीर	ब			
	ख) प्रतिनि	ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि					
	ग) मूल कार्यालय/ संगठन का नाम जिससे संबंधित है।						
16.	प्रशिक्षण/पाठ्	प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम में भाग लिया					
17.	आपके वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण:-						
	कृपया बताएं	कृपया बताएं कि क्या आप निम्न में से किसके अधीन					
	काम कर रहे	है-					
	क) केंद्र सरव	जर					
	ख) राज्य सर	कार					
	ग) स्वायत्त स	गिठन					
	घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम						
	ड) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम						
	च) सांविधिक निकाय/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन						
18.	अतिरिक्त ज	निकारी, या	दे कोई हो,	जिसे आवेद	क अनुबंध		
	-ए के कॉलम 2 में उल्लिखित "कर्तव्यों" के साथ-साथ पद						
	के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना						
	चाहे। यदि अ						
19. एकीकृत जांच चौिकयों में नियुक्ति के लिए स्थान की							
	प्राथमिकता:						
	i)	ii)	iii)		Q.		

तारीख:

(आवेदक के	हस्ताक्षर)
मोबाइल नं	बर:
पत्राचार के	बिए पता [.]

आवेदक द्वारा घोषणा

1. मैं, (आवेदक	का नाम) एतद्द्वार	ा घोषणा करता	हूं/करती हूं कि	⁵ भारतीय
भूमि पत्तन प्राधिकरण में	के पद पर (पद	का नाम) प्रति	नियुक्ति पर मे	री तैनाती
से मुझे प्रतिनियुक्ति या नियमित नियुक्ति	पर मेरे द्वारा प्रदान	न की गई सेवा3	मों के संबंध में	उक्त पद
पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिव	कार नहीं देगा।			

- 2. मैं उक्त पद पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में आमेलन का दावा नहीं करूंगा/ करूंगी।
- 3. ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी अशुद्धि के लिए या प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाले नियमों/आदेशों में किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए मैं अपने मूल संगठन में वापस भेजे जाने के लिए उत्तरदायी हूं।

तारीख:

स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन अग्रेषित करते समय कार्यालयाध्यक्ष /भारत सरकार में अवर सचिव पद के अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला प्रमाण पत्र

A STATE OF THE STA

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किए गए हैं।
- 2. आवेदक को चयनित होने पर, तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
- 3. पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।
- 4. अधिकारी की सेवा के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।
- 5. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / सतर्कता का मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है और वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है।
- 6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।

तारीख:	हस्ताक्षर:
स्थान:	नाम:
	पदनाम
	टेलीफ़ोन नंबर
	शासकीय सील :

ध्यान दें: प्रतिनियुक्ति / विदेशी सेवाओं के सभी निबंधन और शर्तों का DoP&T का.जा संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार अन्पालन किया जाएगा।